मंडफिया में नकली मावे से बनी हुई मिठाइयां बेचने का धंधा जोरों पर

नकली मावे से बनी मिठाइयों को सांवलियाजी सेठ के मंदिर में ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग

मंडफिया, (निसं)। मंडफिया कस्बे में प्रसाद के नाम से बैचे जाने वाला रेडीमेड नकली मावे का धंधा खूब फल-फूल रहा है। जानकारी के अनुसार भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया की नगरी में केमिकल युक्त नकली मावे से बनी मिठाईयां बेचने का गोरखधंधा जोरों शोरों से चल रहा है।

मंडफिया कस्बे के जागरूक एवं आईटीआई कार्यकर्ता कैलाश चंद्र डाड ने बताया कि इस मामले को लेकर रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 181 पर शिकायत 12 जुलाई 2024 को दर्ज करवाई गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद फूड इंस्पेक्टर घनश्याम शर्मा व टीम मावे का सैंपल लेने मंडफिया पहुंची। फूड इंस्पेक्टर शर्मा व टीम ने मंदिर के आसपास की दुकानों से मावों का सैंपल लेकर चित्तौड़गढ़ लैब में ले गए। जागरूक कार्यकर्ता डाड ने बताया कि सैंपल के लिए ले जाए गए मावे की डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी ना जांच हुई ना ही कार्रवाई हुई, जिससे इन दुकानदारों के हौंसले बुलंद हैं। रसद विभाग की टीम ने मावे की जांच के नाम पर खानापूर्ति कर कार्य से अतिश्री कर ली है।

जागरूक कार्यकर्ता डाड एवं ग्रामीण सांवलिया जी मंदिर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कालूराम गुर्जर, मंडफिया पूर्व वार्ड पंच लक्ष्मी लाल खटीक, रामलाल गुर्जर ने बताया कि यह नकली मावा सांवलिया जी मंदिर मंडल की दुकानों में एवं कस्बे की अन्य मिठाईयां की दुकानों में खूब बिक रहा है। यह नकली मावा खाने से मंडफियावासियों के एवं बाहर से आने वाले भक्तों के शरीर में जहर घोल रहा है। यह नकली मावा शरीर में कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। दुकानदार नकली मावा व उससे बनी मिठाईयां बैचकर मोटी गाड़ी कमाई कर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। इन दुकानदारों को लोगों के स्वास्थ्य की थोड़ी सी भी फ़िक्र नहीं है। यह दुकानदार बेफिक्र होकर नकली मावा ग्रामीणों को एवं भक्तों को बड़े मजे के साथ बेच रहे हैं।

मंडफिया में खुले आम दुकानों में नकली मावे से बनी मिठाइयां बेची जा रही है।

कार्यकर्ता डाड ने बताया कि यह नकली मावा अन्य जिलों व शहरों से सील पैक कट्टों में मंडफिया कस्बे में स्थित सांवलिया जी मंदिर की दुकानों में एवं अन्य मिठाईयों की दुकानों में बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। इन सील पैक कट्टों में रंग बिरंगे जैसे सफेद, केसरिया, पीला, हरा व चॉकलेटी आदि रंगों का नकली मावा होता है। उसके बाद दुकानदार अपने सांचे में उस मावे को डालकर पेड़े बनाकर उसके ऊपर काजू बादाम की कतरन लगा कर कागज के मनमोहक पेकिंग डिब्बों में भरकर बेचा जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि यह नकली मावा 130 रुपए से 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दुकानदार खरीदते हैं फिर यही दुकानदार इस मावे को 500 से 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भक्तों को बैच रहे हैं। जागरूक कार्यकर्ता कैलाश चन्द्र डाड ने बताया कि इस नकली मावे को यात्रीगण अच्छा समझ कर भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर में लेकर पहुंच रहे हैं और यही मावा मंदिर के गर्भग्रह में

- **डेढ़ माह पहले शिकायत पर दुकानों से मिठाइयों के सैम्पल लिये गये थे, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई**

सांवलिया जी सेठ की मूर्ति के समक्ष भोग के रूप में चढ़ रहा है। भगवान के भोग चढ़ जाने के बाद उस मावे को यात्री मंदिर परिसर में अपने परिवार जनों को एवं अन्य भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इन यात्रियों को पता ही नहीं है कि यह जो मावा है वो केमिकल युक्त नकली मावा है।

इधर ग्रामीणों ने मंदिर प्रशासन से इस मामले को शीघ्र संज्ञान में लेकर असली नकली मावे की जांच करवा कर यात्रियों एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बचाने की मांग की है। ऐसे नकली मावे को भगवान सांवलिया जी सेठ के मंदिर में ले जाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की मांग की है। डाड ने यह भी बताया कि नकली मावा सप्लायर मंडफिया कस्बे में क्विंटलों बंद मावा बेच कर दुकानदारों को ऐसी सुविधा दे रखी है कि दुकानदार के मावा अगर नहीं बिकता है व खराब होता है तो सप्लायर उस सड़े गले मावे को ले जाकर पुन: बनाकर मावे में मिलाकर दोबारा दुकानदारों को बेच देता है।

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार दो ईनामी गिरफ्तार

हरिद्वार उत्तराखण्ड की रहने वाली एक युवती से दुष्कर्म किया और फरार हो गए थे

मनियां थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

धौलपुर, (निसं)। सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में फरार चल रहे 45 हजार रुपये के दो ईनामी बदमाशों को धौलपुर जिले की मनियां थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 24 अगस्त को हरिद्वार उत्तराखण्ड की रहने वाली एक युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर फोन कर मनियां बुलाया। जिसके बाद तीन लोगों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया और फरार हो गए। मामले में टीम गठित कर फरार आरोपियों की तलाश की गई।

मामले को लेकर मनियां सीओ राजेश कुमार ने बताया कि प्रकरण में घटना के समय से फरार आरोपियों की तलाश के लिए मनियां थाना क्षेत्र के गांव व उनके छिपने वाले सम्भावित स्थानों पर तलाश की गई। इसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कि प्रकरण में फरार सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी जलालपुर मोड़ पर खड़े हैं, जो कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर थानाधिकारी मनियां नरेश शर्मा मय टीम के जलालपुर मोड़ पहुंचे, जहां पर दोनों आरोपी खड़े हुए थे, जिन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अहम भूमिका कांस्टेबल नरेन्द्र, विक्रम, प्रेमचन्द, राजेश ने निभाई।

मनियां सीओ राजेश कुमार ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 45 हजार रुपये के ईनामी बदमाश रामौतार उर्फ औतार उर्फ अवतार पुत्र भवूति गुर्जर और पतिया उर्फ पतिराम पुत्र होतमसिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरड़ा की ओर से औतार गुर्जर पर 25 हजार रुपये और पतिराम पर 20 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। दोनों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया है।

होमगार्ड का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया

तारानगर, (निसं)। तारानगर के एक खेत में बने झौपड़े में एक होमगार्ड का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में कई लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है।

- **पुलिस एवं एसएफएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए**

थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि तारानगर के वार्ड 21 निवासी सुनिल कुमार पुत्र सीताराम शर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि मेरा खेत मिखाला की रोही में स्थित है व हमारे खेत से दक्षिणी की ओर मेरे ताऊ कांता प्रसाद का खेत है। उसी हिस्से में कांता प्रसाद के पुत्र भगवानाराम के हिस्से की कृषि भूमि है। भगवानाराम होमगार्ड में नौकरी करता है, इसलिये अपने हिस्से की कृषि भूमि को गोविन्दराम पुत्र ऋषि कुमार को हिस्से पर काश्त पर दे रखी थी। 30 अगस्त दोपहर को भगवानाराम अपने खेत को संभालने गया था। उस समय उसके खेत में गोविंदराम पुत्र ऋषि कुमार, उसकी तथाकथित पत्नी नामालूम, राकेश पुत्र सीताराम माली, दिनेश सुखा पुत्रगण कमलाप्रसाद माली, नन्दलाल पुत्र बुधाराम माली, भोलूराम माली व अन्य 6-7 लोग और थे जो भगवानाराम के खेत में गोविन्द के पास बैठ हुये थे। मैं मेरे खेत में काम कर रहा था तो दोपहर करीब तीन बजे के आसपास भगवानाराम के खेत में आवाजें हुई में उधर भागकर गया और देखा कि भगवानाराम को लाठियों से व तार के हेंटर से मारपीट कर रहे थे। तो मैंने कहा तो मेरे को भी मारने के लिये दौड़े। मैं जान बचाकर भाग गया।

उसके बाद कुछ समय पश्चात भगवानाराम की तलाश की तो मुझे नहीं मिला, जिस पर मैनें मेरे घरवालों को सूचना की जिस पर मेरा भाई हरीश, पिता सीताराम, कांता प्रसाद, सुरेन्द्र भगवानाराम की तलाश करने आये। हम रातभर उसकी तलाश करते रहे। तलाश करने पर मेरे भाई भगवानाराम की लाश पालाराम माली के खेत में बन झौपड़े में मिली।

उपरोक्त सभी लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है। मेरे भाई के सारे शरीर पर भयंकर चोटें लगी हुई हैं कई हड्डिया टूटी हुई है। उधर होमगार्ड भावनाराम का शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर तारानगर डीएसपी मिनाक्षी, थानाधिकारी गौरव खिड़िया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे घटना की जानकारी ली। पुलिस ने भगवानाराम के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे तारानगर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया व पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। एसएफएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक भगवानाराम के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

लूट-डकैती के तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा

किशनगढ़ बास, (निसं)। अलवर-किशनगढ़ बास हाईवे पर बंबोरा घाटी के पास 10 साल पहले बदमाशों ने गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर अलवर से दिल्ली जा रहे परिवार की गाड़ी को अगवाकर जंगल में ले जाकर गाड़ी में बैठे परिवार के साथ जेवरात व नगदी लूट व डकैती मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 जगदीश प्रसाद मीणा ने तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किए जाने के आदेश दिए हैं।

अपर लोक अभियोजक अजीत राव ने बताया कि 16 फरवरी 2014 को दिल्ली निवासी सपन मोहन गर्ग ने किशनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि वह 14 फरवरी रात को अपनी पत्नी व बच्चों के साथ कार में सवार होकर अलवर से दिल्ली जा रहे थे। रात्रि करीब 11:45 पर किशनगढ़ के बंबोरा घाटा के पास अचानक एक मारुति स्विफ्ट सफेद रंग की गाड़ी लाल बत्ती लगी हुई ने ओवरटेक कर हमारी कार को रोक दिया और लाल बत्ती वाली कार से 6 बदमाश उतरे एवं हमारे ड्राइवर को जबरन खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। तीन बदमाश हमारी गाड़ी में घुस आए जिसमें से एक ने गाड़ी चलाई एवं पीछे बैठे बदमाश ने कट्टा मेरी पत्नी के माथे पर लगा दिया। मेरी पत्नी के पहने हुए जेवर, 20 हजार नगदी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मोबाइल लैपटॉप छीन लिया एवं दोगडा के जंगल में छोड़कर चले गए।

पुलिस ने मामले की जांच कर सात लोगों के विरुद्ध अदालत चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मीणा ने आरोपी इब्रा उर्फ इब्रान पुत्र ममरेज निवासी सोमका पहाड़ी भरतपुर, आदिल पुत्र मजीद निवासी बादली पुनहाना हरियाणा, हंडू उर्फ देवो उर्फ देवीलाल पुत्र समय सिंह निवासी भट्टकी की जुरहरा भरतपुर के विरुद्ध दोष सिद्ध पाए जाने पर सात-सात वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।

पैदल जातरू मां-बेटी को बोलेरो ने कुचला, मां की मौत

जोधपुर, (कास)। शहर के निकटवर्ती मोगड़ा गऊशाला के पास पैदल जा रहे जातरू मां-बेटी को एक बोलेरो चालक ने अपनी चपेट में लेकर कुचल दिया। इसमें मां की मौत हो गई जबकि बेटी जख्मी हो गई। मामले में विवेक विहार पुलिस ने शनिवार को शव को कार्रवाई कर परिजनों को सौंपा। बेटी का अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं दूसरी तरफ रामसागर चौराहा के पास पिकअप के चालक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

विवेक विहार थाने के एएसआई भरतलाल ने बताया कि सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा स्थित ठंडीबेरी निवासी मालाराम पुत्र लिंबाराम गरासिया का परिवार बाबा के दर्शनार्थ रामदेवरा की तरफ जा रहा था। यह लोग पैदल थे। मोगड़ा गऊशाला के पास में किसी बोलेरो के चालक ने उसकी पुत्रवधु 21 साल की बिजरी कुमारी पत्नी गोमाराम गरासिया और उसकी 3 साल की बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बिजरी की मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी घायल हो गई। एएसआई भरतलाल ने बताया कि बोलेरो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर अब जांच की जा रही है। शव को आज कार्रवाई कर परिजन के सुपुर्द किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पुलिस ने बताया कि डांगियावास निवासी डूंगरराम पुत्र शेराराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई बासनी बेंदा पुलिया से निकल रहा था। तब किसी पिकअप के चालक ने उसे चपेट में ले लिया।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, बाडी

पता-बाईपास किला बाडी-328021 फोन नं. 05647-274684 ई मेल-ee_pwdbari@rediffmail.com

क्रमांकः 668 दिनांकः 28.08.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्याः 02/2024-2025

(NIB PWD2425A1293 & UBN PWD2425WSOB04668, PWD2425WSOB04671, PWD2425WSOB04674)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से बाडी जिला धौलपुर में कुल 3 नं. पर भवन / सडक कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों, राज्य सरकार के अन्य विभागों में पंजीकृत ''एए, ''ए''बी''सी'' एवं डी'' श्रेणी संवेदकों एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजसथान सरकार के ''एए,''ए''बी''सी'' एवं डी'' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण बेवसाईट "www.eproc.dipronlineorg" व http://www.pwd.rajasthan.gov.in/, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं "www.sppp.raj.nic.in" पर देखा जा सकता है।

(सौरभ शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड बाडी

DIPR/C/7972/2024

सीकर: रैवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य वेदांती पंचतत्व में विलीन

राघवाचार्यजी महाराज द्वारा घोषित उत्तराधिकारी जगतगुरू द्वाराचार्य राजेंद्रदास देवाचार्य मलूक पीठाधीश्वर बंसीवट वृंदावनधाम ने मुखाग्नि दी

सीकर, (निसं)। रैवासा पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी राघवाचार्यजी वेदांती महाराज की पार्थिव देह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। महाराज द्वारा घोषित उत्तराधिकारी जगतगुरू द्वाराचार्य राजेंद्रदास देवाचार्य मलूक पीठाधीश्वर बंसीवट वृंदावनधाम ने मुखाग्नि दी।

डॉ. स्वामी राघवाचार्यजी वेदांती महाराज का शुक्रवार को हृदय गति रूकने से निधन हो गया था। श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर से उनकी बैकुंठी निकाली गई जो रैवासा गांव में होती हुए अंतिम स्थल पर पहुंची। यहां पर अश्रुपूर्ण नयनों से सभी ने उनकी पार्थिव देह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अनुयायियों ने रूंवासे मन से महाराज को अंतिम विदाई दी। महाराज की बैंड-बाजे सहित भजनों के साथ निकली बैकुंठी को देखने और अंतिम विदाई देने के लिए पूरा रैवासा गांव सहित भारत के सभी हिस्सों से धर्मगुरू, संत, राजनेता सहित उनके अनुयायी मौजूद रहे। डॉ. स्वामी राघवाचार्यजी वेदांती महाराज की देह को वहां मौजूद सभी लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। अंतिम क्रिया स्थल पर महाराज को विदाई देने के लिए सभी संप्रदायों के पीठाधीश्वर, महंत सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

महाराज के अग्नि संस्कार में वैष्णव समाज, दादूपंथी संप्रदायों के मठाधीशों सहित यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी, दांतारामगढ़ विधायक विरेंद्र सिंह, हाथोज पीठ के पीठाधीश्वर व हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य, भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, लोहार्गल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, रैवासा सरपंच राजकुमार सैनी, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया, सीकर के पूर्व एडीएम हरिशंकर भारद्वाज, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. कमल सिखवाल, सभापति जीवण खां, चंद्रमादास महाराज, श्रीकुमार लखोटिया, महेश शर्मा, रामचंद नेहरा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा कि अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य महाराज के देहलोकगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्य सरकार व मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर वे महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि स्वामी राघवाचार्य महाराज का देहलोकगमन हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है।

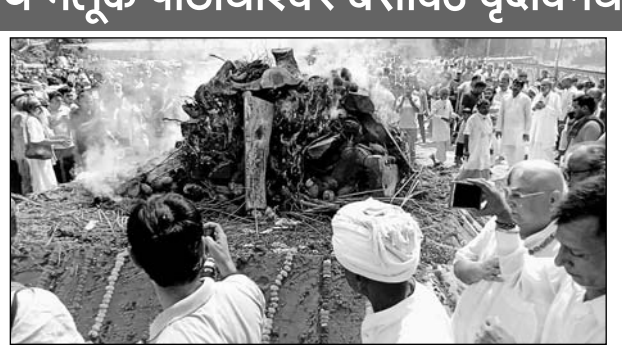

स्वामी राघवाचार्यजी महाराज के अंतिम संस्कार में अनेक संत, राजनेता और अनुयायी शामिल हुये।

भाजपा के हरियाणा प्रभारी व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि स्वामी राघवाचार्य महाराज ने शेखावाटी में ही नहीं अपितू राजस्थान व देश में सनातन की धर्म प्रजा को फैलाने का काम किया है। हम महाराज को सुनते भी थे और खिखते भी थे। पूनिया ने कहा कि आज महाराज विधिक रूप से हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आत्मिक व धार्मिक प्रेरणायें हमारे बीच में हमेशा रहेगी। दांतारामगढ़ विधायक विरेंद्र सिंह ने कहा कि स्वामी जी ने शिक्षा, वेदों के अध्ययन, धर्म के क्षेत्र में हमेशा सहयोग दिया है। ऐसे धर्मगुरू के हमारे बीच से चले जाना अपूरणीय क्षति है। सभापति जीवण खां ने कहा कि स्वामी राघवाचार्य महाराज ने सर्वसमाज को साथ लेकर गौसेवा में अनुकरणीय कार्य किया है। उनका ऐसे चले जाना हम सबके लिए बहुत

- **यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की**

दुखदायी है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. कमल सिखवाल ने कहा कि महाराज ने शिक्षा, संस्कृत व संस्कृति की अलख संपूर्ण समाज में जगाई है। हमारे बीच से चले जाने की पूर्ति करना हम सबके लिए असंभव है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि स्वामी राघवाचार्य महाराज ने सामाजिक समरसता के साथ वेदों को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों सहित संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। कहा कि महाराज ने रैवासा पीठाधीश्वर के रूप में जो छवि पूरे देश में रैवासा की बनाई वह अपने आप में दुर्लभ है। महाराज जनता जर्नादन से सीधे रूप से जुड़े रहते थे।

हाथोज पीठाधीश्वर व हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज ने स्वामी राघवाचार्य महाराज के देहलोकगमन को संत समाज सहित सभी के लिए बेहद दुखदायी बताया। वैदिक आश्रम पिपराली के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि महाराज ने लंबे समय तक इस क्षेत्र में समाजसेवा के साथ-साथ में वेद, संस्कृति, धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इससे उनकी संपूर्ण देश में ख्याति थी। कहा कि महाराज ने हमेशा सेवा के कार्य किए हैं।

चाकूबाजी मामले में छात्रों को स्कूल से निकाला

उदयपुर, (निसं)। स्कूल के बाहर छात्र पर चाकू से हमला करने के मामले में स्कूल प्रबंधन ने पांच छात्रों को टीसी सौंपकर स्कूल से निकाल दिया।

प्रकरण के अनुसार शुक्रवार को शहर के युनिवर्सीटी रोड़ पर स्थित निजी स्कूल के बाहर आपसी कहासुनी के दौरान स्कूल छात्रों ने सहपाठी छात्र पर चाकू से प्राणघातक हमला कर एक छात्र को घायल कर दिया था।

इस मामले में जांच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक अब्दुल रहमान ने डिटेनशुदा पांच छात्रों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को बाल सम्प्रेशण गृह भेज दिया, जबकि स्कूल प्रबंधन ने कार्यवाही करते हुए मामले में करीब पांच छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया।

इस मामले में शनिवार को पीड़ित छात्र के परिजनों एवं अभिभावकों ने कार्यवाही की मांग करते हुए स्कूल में हंगामा किया था।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जालोर

क्रमांकः अअ/वृत्त/जा/2024-25/1011-1027 दिनांकः 27.08.2024

निविदा सूचना संख्या : 01 वर्ष 2024-25

NIB No. PWD2425A1276

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत सडक कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राज्स्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कुल 03 कार्य जिनकी लागत राशि रू. 842.00 लाख है, अतः उक्त कार्यों के लिए ईटेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख	02 सितम्बर 2024, प्रातः 10.00 बजे से 23 सितम्बर 2024, सायं 6:00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in व http:// eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http:// eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

NIB No. PWD2425A1276

क्र.सं.	यूबीएन नं.
1	PWD2425WSOB04616
2	PWD2425WSOB04617
3	PWD2425WSOB04618

(चतुर्भुज खुडीवाल)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त, जालोर
मोबाईल 9414587359

DIPR/C/7931/2024

राजकीय महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

GOVT. WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)
Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer-305002
website: www.gweca.ac.in Ph. No.: 0145-2695535 email: principal@gweca.ac.in Fax No.:0145-2695102

रा.म.अ.म./प्रोक्टर/2024-25/39 दिनांक 31.08.2024

बी. टेक. प्रथम वर्ष में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश हेतु (2024-25)

महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में बी. टेक. प्रथम वर्ष में रिक्त रही सीटों पर सीधे प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
(REAP CODE : 1052)

Branches available	Last Date & Timing for Applying for Direct Admission	Date & Timing of Counselling	Venue
Computer Science & Engg.,(CSE) Information Technology, (IT) Electronics & Communication Engg.,(ECE) Electrical Engg., (EE) Electrical & Electronics Engg., (EEE) Mechanical Engg.,(ME) Artificial Intelligence & Machine Learning (AIML)	14.09.2024 (upto 11:00 am)	14.09.2024 From 1:00 pm onwards	Govt. Mahila Engineering College Nasirabad Road Makhupura Ajmer

समस्त प्रवेश प्रक्रिया रीप-2024 के दिशा निर्देशानुसार होगी।

प्रवेश इच्छुक छात्राएं महाविद्यालय से फॉर्म प्राप्त कर अथवा महाविद्यालय वेबसाइट www. gweca.ac.in से फॉर्म डॉऊनलोड कर उसे भरकर मय दस्तावेजों की छायाप्रति सहित निर्दिष्ट तिथि तथा समय पर महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। (फॉर्म और दस्तावेजों को स्कैन कर proctor@gweca.ac.in मेल भी निर्धारित समयावधि में प्रेषित कर सकते हैं)। काउंसिलिंग के समय छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से मूल दस्तावेजों और शुल्क के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

महाविद्यालय में एम.सी.ए. तथा बी. टेक. द्वितीय वर्ष (LATERAL ENTRY) में प्रवेश प्रक्रिया संचालित है।
Contact No. : 9829149706, 9928464454, 9828648789,9829081523

प्राचार्य